रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 5, 1993/कार्तिक 14, 1915
No. 382] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 1993/KARTIKA 14, 1915

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1993

सा.का.नि. 689(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगमों की मान्यता) नियम, 1959 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगमों की मान्यता) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

(ख) "सरकारी सेवक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 लागू होता है।

3. लागू होना : ये नियम सभी सरकारी सेवकों के, जिसके अन्तर्गत रक्षा सेवा में के सिविलियन सरकारी सेवक भी आते हैं, सेवा संगमों को लागू होंगे किन्तु ये रेल मंत्रालय के औद्योगिक कर्मचारियों और रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रतिष्ठापनों में नियोजित कर्मकारों को, जिनके लिए मान्यता के पृथक नियम विद्यमान हैं, लागू नहीं होंगे।

4. पहले से मान्यता प्राप्त सेवा संगम :

ऐसा कोई सेवा संगम या परिसंघ, जिसे इन नियमों के प्रारंभ से पहले सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और जिनकी बाबत मान्यता ऐसे प्रारम्भ पर अस्तित्व में है, ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक, जिसको मान्यता वापस ले ली जाती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इस प्रकार मान्यता प्राप्त बना रहेगा।



https://www.staffnews.in

5. सेवा संगमों की मान्यता के लिए शर्तें :—

ऐसे सेवा संगम को जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकेगी ; अर्थात :—

(क) सेवा संगम की मान्यता के लिए सरकार को दिए गए आवेदन में संगम के ज्ञापन, संविधान, संगम की उप विधियों पदाधिकारियों के नाम कुल सदस्य संख्या और कोई अन्य जानकारी जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो, अन्तर्विष्ट होगी ;

(ख) सेवा संगम का गठन मुख्य रूप से इसके सदस्यों के सामान्य हितों की अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया है ;

(ग) सेवा संगम की सदस्यता ऐसे सरकारी सेवकों के सुभिन्न प्रवर्ग के लिए निबंधित की गई है जिनका सामान्य हित है और ऐसे सभी सरकारी सेवक सेवा संगम की सदस्यता के लिए पात्र है ;

(घ) (1) संगम किसी प्रवर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या के न्यूनतम 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता हो परन्तु जहां केवल एक ही संगम है जिसकी 35 प्रतिशत से अधिक सदस्यता है वहां दूसरे सर्वाधिक सदस्यता वाले अन्य संगम को जिसकी यद्यपि सदस्य संख्या 35 प्रतिशत से न्यून है, मान्यता प्रदान की जा सकेगी यदि उसकी कम से कम सदस्यता 15 प्रतिशत है।

(ii) सरकारी सेवक की सदस्यता जिस प्रवर्ग का वह है उसमें न रहने से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी ;

(ङ) सरकारी सेवक जो सेवा में हैं सेवा संगमों के सदस्य या पदाधिकारी होंगे ;

(च) सेवा संगम का गठन किसी जाति, जनजाति या धार्मिक सम्प्रदायों या ऐसी जाति, जनजाति या धार्मिक सम्प्रदायों के भीतर किसी समूह या वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या उसके आधार पर नहीं किया जाएगा ;

(छ) सेवा संगम की कार्यकारिणी की नियुक्ति केवल सदस्यों में से की गई है ; और

(ज) सेवा संगम निधि में अनन्य रूप से सदस्यों के अंशदान और सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, यदि कोई हो, आते हैं और जो केवल सेवा संगम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उपयोजित किए जाते है।

6. शर्तें जिनके अधीन मान्यता बनी रहेगी :—

इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त प्रत्येक संगम निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा ; अर्थात् :—

(क) सेवा संगम, सेवा संगम के सदस्यों के सामान्य हित के मामलों से संबंधित विषयों के अलावा कोई अभ्यावेदन या शिष्टमंडल नहीं भेजेगा ;

(ख) सेवा संगम सरकारी सेवकों के वैयक्तिक सेवा मामलों से संबंधित हेतुक को न ही अपनाएगा और न ही समर्थन देगा ;

(ग) सेवा संगम कोई राजनैतिक निधि नहीं रखेगा या उसे किसी राजनैतिक दल या ऐसे दल के किसी सदस्य के किसी सदस्य के विचारों का प्रचार करने के लिए अपनी सेवाएं नहीं देगा ;

(घ) सेवा संगम द्वारा सभी अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जायेंगे और सरकार के सचिव/संगठन या विभाग या कार्यालय के प्रधान को संबोधित किए जाएंगे ;

(ङ) सेवा संगम के सदस्यों और पदाधिकारियों की एक सूची और उसके नियमों की एक अद्यतन प्रति और लेखाओं का संपरीक्षित विवरण सरकार को प्रति वर्ष साधारण वार्षिक बैठक के पश्चात उचित माध्यम से भेजा जाएगा जिससे कि वह प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई के पूर्व सरकार के पास पहुंच सके।

(च) सेवा संगम अपने संविधान/उप विधियों के सभी उपबंधों का पालन और अनुपालन करेगा ;

(छ) इन नियमों के अधीन सेवा संगम को मान्यता के पश्चात् उसके संविधान उप-विधि में कोई संशोधन केवल सरकार के पूर्वानुमोदन से हो किया जायेगा ;

(ज) सेवा संगम सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई नियतकालिक पत्रिका मैगजीन या बुलेटिन शुरू या प्रकाशित नहीं करेगा ;

(झ) सेवा संगम किसी नियतकालिक पत्रिका, मैगजीन या बुलेटिन का प्रकाशन बंद कर सरकार द्वारा इस आधार पर ऐसा करने का निदेश दिया जाता है कि उसका प्रकाशन केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी के हितों पर या सरकारी सेवकों और सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी के बीच या भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच अच्छे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है,

(ञ) सेवा संगम, सरकार के माध्यम के सिवाय किसी विदेशी प्राधिकारी को न तो कोई पत्र लिखेगा या न ही कोई पत्र-व्यवहार करेगा जिसे सरकार को विचारित करने का अधिकार होगा ;

(ट) सेवा संगम कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने में सहायता नहीं करेगा जो यदि सरकारी सेवक द्वारा किया जाता तो उससे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के किसी उपबंध का उल्लंघन होता है; और

(ठ) सेवा संगम या उस की ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी को संबोधित पत्रों में असम्मानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

7. सदस्यता का सत्यापन :

(1) सेवा संगम की मान्यता के प्रयोजन के लिए सदस्यता का सत्यापन ऐसे अंतरालों पर वेतन पत्रकों में चैक-पद्धति द्वारा और ऐसी रीति में किया जायेगा जैसी सरकार आदेश द्वारा विहित करे।

https://www.staffnews.in

(2) सरकार, किसी भी समय, सदस्यता के विशेष सत्यापन के लिये आदेश कर सकेगी, यदि जांच कराने के पश्चात् उसकी यह राय है कि सेवा संगम के नियम 5 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (1) के अधीन अपेक्षित सदस्यता नहीं रह गई है।

8. मान्यता वापस लेना :

यदि, सरकार की राय में, इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त कोई सेवा संगम, नियम 5 या नियम 6 या नियम 7 में उपवर्णित शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सरकार, सेवा संगम को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात ऐसे सेवा संगम को दी गई मान्यता वापस ले सकेगी।

9. शिथिलीकरण :

सरकार, इन नियमों में से किसी भी नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि वह किसी सेवा संगम के बारे में उचित समझे, अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी या शिथिल कर सकेगी।

10. निर्वचन :

यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है या मान्यता की शर्तों को पूरा करने के संबंध में कोई विवाद है तो वह सरकार को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

[सं. 2/10/80-जे.सी.ए. (खण्ड IV)]
जे.एस. माथुर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 1993

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, and in supersession of the Central Civil Services (Recognition of Service Associations) Rules, 1959 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Central Civil Services (Recognition of Service Associations) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition : In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Government" means the Central Government.

(b) "Government servant" means any person to whom the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, apply.

3. Application : These rules shall apply to Service Associations of all Government servants including civilian Government servants in the Defence Services but shall not apply to industrial employees of the Ministry of Railways and workers employed in Defence Installations of Ministry of Defence for whom separate Rules of Recognition exist.

4. Service Associations already recognised : A Service Association or a Federation which has been recognised by the Government before the commencement of these rules and in respect of which the recognition is subsisting at such commencement, shall continue to be so recognised for a period of one year from such commencement or till the date on which the recognition is withdrawn, whichever is eariler.

5. Conditions for recognition of Service Associations : A Service Association which fulfills the follwing conditions may be recognised by the Government, namely :—

(a) An application for recognition of Service Association has been made to the Government containing Memorandum of Association, Constitution, Bye-laws of the Association, Names of Office-Bearers, total membership and any other information as may be required by the Government;

(b) the Service Association has been formed primarily with the object of promoting the common service interest of its members;

(c) membership of the Service Association has been restricted to a distinct category of of Government servants having common interest, all such Government servants' being eligible for membership of the Service Association;

(d) (i) The Association represents minimum 35 per cent of total number of a category of employees provided that where there is only one Association which commands more than 35 per cent membership, another Association with second highest membership, although less than 35 per cent may be recognised if it commands atleast 15 per cent membership;

(ii) The membership of the Government servant shall be automatically discontinued on his ceasing to belong to such category;

(e) Government employees who are in service shall be members or office bearers of the Service Association;

https://www.staffnews.in

(f) the Service Association shall not be formed to represent the interests, or on the basis, of any caste, tribe or religious denomination or of any group within or section of such caste, tribe or religious denomination;

(g) the Executive of the Service Association has been appointed from amongst the members only; and

(h) the funds of the Service Association consist exclusively of subscriptions from members and grants, if any, made by the Government, and are applied only for the furtherance of the objects of the Service Association.

6. Conditions subject to which recognition is continued : Every Service Association recognised under these Rules shall comply with the following conditions, namely :—

(a) the Service Association shall not send any representation or deputation except in connection with a matter which is of common interest to members of the Service Association;

(b) the Service Association shall not espouse or support the cause of individual Government Servants relating to service matters;

(c) the Service Association shall not maintain any political fund or lend itself to the propagation of the views of any political party or a member of such party;

(d) all representations by the Service Association shall be submitted through proper channel and shall be addressed to the Secretary to the Government|Head of the Organisation or Head of the Department or Office;

(e) a list of members and office bearers and up-to-date copy of the rules and an audited statement of accounts of the Service Association shall be furnished to the Government annually through proper channel after the general annual meeting so as to reach the Government before the 1st day of July each year;

(f) the Service Assocition shall abide by and comply with all the provisions of its constitution|bye-laws;

(g) any amendment in the constitution|bye-laws of the Service Associations, after its recognition under these Rules, shall be made only with the prior approval of the Government;

(h) the Service Association shall not start or publish any periodical, magazine or bulletin without the previous approval of the Government;

(i) the Service Association shall cease to publish any periodical, magazine or bulletin, if directed by the Government to do so, on the ground that the publication thereof is prejudicial to the interests of the Central Government, the Government of any State or any Government authority or to good relations between Government servants and the Government or any Government authority, or to good relations between the Government of India and the Government of a foreign State;

(j) the service Association shall not address any communication to, or enter into correspondence with, a foreign authority except through the Government which shall have the right to withhold it;

(k) the Service Association shall not do any act or assist in the doing of any act which, if done by a Government servant, would contravene any of the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964; and

(l) Communications addressed by the Service Association or by any office-bearer on its behalf to the Government or a Government authority shall not contain any disrespectful or improper language.

7. Verification of Membership : (1) The verification of membership for the purpose of recognition of a Service Association shall be done by the Check-Off-System in pay-rolls at such intervals and in such manner as the Government may by order prescribe.

(2) The Government may, at any time, order a special verification of membership if it is of the opinion, after an enquiry, that the Service Association does not have the membership required under sub-clause (i) of clause (d) of rule 5.

8. Withdrawal of Recognition : If, in the opinion of the Government, a Service Association recognised under these rules has failed to comply with any of the conditions set out in rule 5 or rule 6 or rule 7 the Government may after giving an opportunity to the Service Association to present its case, withdraw the recognition accorded to such Association.

9. Relaxation : The Government may dispense with or relax the requirements of any of these rules to such extent and subject to such conditions as it may deem fit in regard to any Service Association.

10. Interpretation : If any question arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules or if there is any dispute relating to fulfilment of conditions for recognition it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

[F. No. 2|10|80-JCA (Vol IV)]

J. S. MATHUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993

https://www.staffnews.in